राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23/40047-264 दिनांक :26/05/2022

सम्भागीय आयुक्त,
समस्त राजस्थान।

विषय : राज्य की समस्त नगरीय निकायों में **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना** (IRGY-Urban) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 29390–422 दिनांक 06.05.2022, 32911–943 दिनांक 12.05.2022 एवं 38857–39078 दिनांक 23.05.2022 की निरन्तरता में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में शहरों में आमजन के लिये रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना"** लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से इसी वित्तीय वर्ष से राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा।

बजट घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)** लागू की जा रही है। योजना की विस्तृत **मार्गदर्शिका (Guidelines)** संलग्न है।

उक्त योजना का जून, 2022 के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजना का शुभारम्भ (Launching) किया जाना प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि विभाग के समसंख्यक पत्रांक : 29390–422 दिनांक 06.05.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा योजना की विस्तृत **मार्गदर्शिका (Guidelines)** जारी की गई थी। मार्गदर्शिका के बिन्दु सं. 9 (B) में सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में **सम्भाग स्तरीय मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन समिति** का गठन करते हुये, उक्त समिति की द्विमासिक बैठक आयोजित करने, योजना की सम्भाग स्तर पर मॉनिटरिंग, निरीक्षण एवं समन्वय करने तथा योजनान्तर्गत पर्याप्त कार्यों की स्वीकृति व कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं उक्त समिति का सदस्य सचिव सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग को नियुक्त किया गया है।

Scanned with CamScanner

इस सम्बन्ध में विभाग के समसंख्यक पत्रांक : 38857–39078 दिनांक 23.05.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स, उप निदेशक (क्षेत्रीय) एवं समस्त नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को योजना के **शुभारम्भ (Launching)** होने से पूर्व नगरीय निकायों के स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें मुख्यतः नगरीय निकायों के स्तर पर IRGY सेल का गठन करते हुये, हेल्प डेस्क की शुरूआत करना एवं आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना, योजना में पात्र श्रमिक परिवारों/व्यक्तियों का आंकलन/चिन्हिकरण (Identification) करना एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार श्रम बजट (Labour Budget) तैयार करना, योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का चिन्हिकरण करना व कार्ययोजना का सम्बन्धित जिला कलेक्टर पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC) से अनुमोदन/स्वीकृत करवाना तथा योजना का विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार (IEC Activities) करना आदि कार्य करवाये जाने हैं।

अतः इस सम्बन्ध में निवेदन है कि योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु योजना के विधिवत शुभारम्भ से पूर्व सम्भाग स्तरीय मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन समिति की अतिशीघ्र बैठक आयोजित कर ली जावे एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों के स्तर पर उक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 31 मई, 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे।

संलग्न : मार्गदर्शिका व अन्य पत्र।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/40265–559 दिनांक 26/05/2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीगण (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, विभागाध्यक्ष (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर पदेन जिला परियोजना समन्वयक (समस्त), राजस्थान।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि योजना के शुभारम्भ से पूर्व आपके क्षेत्राधिकार की समस्त नगरीय निकायों की सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक आयोजित की जावे एवं

Scanned with CamScanner

नगरीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुये, योजना का सफल संचालन व क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

13. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
14. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
15. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
16. वित्तीय सलाहकार / परियोजना निदेशक, निदेशालय।
17. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय को प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीड़िया में प्रकाशन करवाने हेतु पालनार्थ।
18. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु पालनार्थ।
19. सुरक्षित पत्रावली।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner